

भाग III

हरियाणा सरकार

जेल विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 सितम्बर, 2013

संख्या सा०का०नि० 23/संवि०/अनु० 309/2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब जेल सेवा (श्रेणी II) नियम, 1963, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम पंजाब जेल सेवा (श्रेणी II) हरियाणा संशोधन नियम, 2013, कहे जा सकते हैं।
2. पंजाब जेल सेवा (श्रेणी II) नियम, 1963 में, नियम 9 में, खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो। अपराध विज्ञान में उपाधि रखने वाले उम्मीदवार को अधिमान दिया जायेगा ; "।

समीर माथुर,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
जेल विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

JAILS DEPARTMENT

Notification

The 13th September, 2013

No. G.S.R. 23/Const./Art. 309/2013.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Punjab Prisons Service (Class II) Rules, 1963, namely :—

1. These rules may be called the Punjab Prisons Service (Class II) Haryana Amendment Rules, 2013.

2. In the Punjab Prisons Service (Class II) Rules, 1963, in rule 9, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :—

“(i) is a Graduate from a recognized university. Preference will be given to a candidate holding a degree in criminology;”.

SAMIR MATHUR,

Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Jails Department.